भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2975
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026

मध्य प्रदेश और बिहार में प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना

2975. **डॉ. लता वानखेड़े:**
श्री अरुण भारती:
श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और बिहार में स्थापित तथा परिचालित सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉटों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) उक्त राज्यों में पंजीकृत तथा स्थानीय खुदरा दुकानों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं सक्रिय रूप से प्रदान कर रहे पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों (पीडीओए) की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत एक वर्ष के दौरान औसत दैनिक डाटा खपत और पीएम-वानी ढांचे के माध्यम से मध्य प्रदेश और बिहार में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार को मध्य प्रदेश और बिहार में बैकहॉल बैंडविड्थ की उच्च लागत के कारण पब्लिक डाटा ऑफिसों (पीडीओ) की कम वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और
(ङ) मध्य प्रदेश और बिहार में सार्वजनिक वाई-फाई की पहुंच बढ़ाने के लिए एग्रीगेटरों को रियायती बैंडविड्थ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क): वर्ष 2025-2026 के दौरान प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और बिहार में स्थापित तथा परिसंचालित सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या क्रमशः 44 और 78 है, जिससे इन दोनों राज्यों में हॉटस्पॉट की संचयी संख्या 30.6.2026 तक क्रमशः 7598 और 4086 हो गई है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में पंजीकृत पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) की संख्या क्रमश 8 और 3 है। पीएम-वाणी ढांचे के अंतर्गत, एक राज्य में पंजीकृत पीडीओए अन्य राज्यों में वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत पंजीकृत यूनिक पीडीओए की कुल संख्या 206 है और 30.6.2026 तक, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य में वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएं प्रदान करने वाले पीडीओए की कुल संख्या क्रमशः 34 और 40 है।

औसत दैनिक डेटा खपत से संबंधित राज्यवार डेटा और पीएम-वाणी के माध्यम से डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने वाले ग्रामीण उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या नहीं रखी जाती है।

(घ) मध्य प्रदेश के एक पीडीओए ने बैंडविड्थ की बढ़ी हुई लागत के कारण वित्तीय कठिनाइयों की सूचना दी है।

(ङ) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों सहित देश भर में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार ने पीएम-वाणी ढांचे में निम्नलिखित नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं -

(i) लागत में कटौती करने और सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की व्यवहार्यता को बढ़ावा देने की दृष्टि से नियमित एफटीटीएच के उपयोग, एकल बैकहॉल के लिए बहुविध पहुंच बिंदुओं के एकत्रीकरण और सहायक उपकरणों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।

(ii) व्यवहार्यता बढ़ाने की दृष्टि से मोबाइल डेटा को ऑफलोड करने और प्रयोक्ताओं को प्रमोशनल या ब्रांडिंग कंटेन्ट भेजने की अनुमति दी गई है।

(iii) होम और बिजनेस वाई-फाई को पीएम-वाणी में शामिल होने की अनुमति दी गई है, पीडीओ के बीच आपसी रोमिंग की अनुमति दी गई है और सर्विस सेट आइडेंटिफायर (एसएसआईडी) के नामकरण की आसान खोज को सक्षम करने के लिए उन्हें मानकीकृत किया गया है।

इसके अलावा, लागत को कम करने और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पीडीओ के लिए खुदरा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर एक टैरिफ आदेश जारी किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता पीडीओ को 200 मेगा बिट प्रति सेकंड तक की अधिकतम गति के साथ सभी खुदरा एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान प्रदान करें, जो संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड टैरिफ के दोगुने से अधिक न हो।
